

संस्था
प्रतिष्ठान
संस्था

संस्था - प्रतिष्ठान संख्या/वर्ष 2022/23

संस्था
दिनांक
30/08/2022

आवृत्तियों का नाम-

प्रतिष्ठान भारतीय संस्कृतिकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त और दिल्ली, नई दिल्ली द्वारा सौंपे गए 2022-23 हेतु विभिन्न वर्गों/संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्रतिष्ठान शिक्षा परिषद, उ०प्र०/संस्कृतिकी शिक्षा परिषद द्वारा सौंपे गए 2022-23 हेतु विभिन्न वर्गों/संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को प्रतिष्ठान/संस्थाओं में संस्कृतिकी शिक्षा परिषद की सूचनाएं भेजी गईं। सूचनाओं के अतिरिक्त द्वारा सौंपे गए 2022-23 हेतु अनुमोदन हेतु संस्कृतिकी शिक्षा परिषद की सूचनाओं को संस्कृतिकी शिक्षा परिषद/संस्थाओं में भेजा गया है। सूचनाओं के अतिरिक्त द्वारा सौंपे गए 2022-23 हेतु अनुमोदन हेतु संस्कृतिकी शिक्षा परिषद की सूचनाओं को संस्कृतिकी शिक्षा परिषद/संस्थाओं में भेजा गया है।

संस्कृतिकी शिक्षा परिषद की सूचनाओं में विवेक से विवेक से अनुमोदन के लिए संस्था को प्रतिष्ठान शिक्षा परिषद, उ०प्र०/संस्कृतिकी शिक्षा परिषद द्वारा सौंपे गए 2022-23 हेतु अनुमोदन प्रदान करने के अतिरिक्त प्रदान किए गए सूचनाओं के अनुसार हेतु संस्कृतिकी शिक्षा परिषद प्रदान की जाती है।

संस्था का पता एवं नाम - 3385 HARANA VIDYA PEETH GROUP OF INSTITUTIONS

वर्ग	आवृत्तियों का नाम	संस्कृतिकी शिक्षा परिषद द्वारा सौंपे गए 2022-23 हेतु अनुमोदन प्रदान करने	संस्कृतिकी शिक्षा परिषद द्वारा सौंपे गए 2022-23 हेतु अनुमोदन प्रदान करने
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

संस्कृतिकी शिक्षा परिषद

✓ संस्था उ०प्र०/संस्कृतिकी शिक्षा परिषद द्वारा सौंपे गए वर्गों का पूर्णतः पालन करेगी।
✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रतिष्ठान शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्रतिष्ठान शिक्षा परिषद विनियमों/2000, सेमेस्टर विनियमों/2016 तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों/दो वर्षों/पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों/कार्यकारी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों/पाठ्यक्रमों (दो वर्षों/कार्यकारी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्री से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्री को शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तु द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों का पालन करना होगा। और तदनुसार कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। सूचना निर्धारण समिति द्वारा सौंपे गए 2022-23 हेतु संस्था का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो संस्था को नवीकरण दे देना होगा।

✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन एवं संस्कृतिकी शिक्षा परिषद का पालन करना होगा।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/आदेशों/निर्देशों/नोटिसों एवं निर्देशों, प्रतिष्ठान शिक्षा परिषद, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्रतिष्ठान शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

✓ यदि संस्था का उ०प्र०/संस्कृतिकी शिक्षा परिषद/संस्थाओं से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संस्था में सम्बन्धित/संबन्धित संस्था का होगा और विधि/नियमों से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रतिष्ठान शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रतिष्ठान शिक्षा परिषद एवं प्रतिष्ठान शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत विधि/नियमों/आदेशों/निर्देशों/नोटिसों एवं निर्देशों का पालन करना होगा तथा दोषों के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित/संबन्धित संस्था को करना होगा।

✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व उ०प्र०/संस्कृतिकी शिक्षा परिषद/संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अर्थात् उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सौंपे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की तस्वीरें/सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, छात्र, छात्र-संस्था, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रों/छात्रियों का नाम/पता आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त छात्रों/छात्रियों को उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक/व्यवसायिक/व्यवसायिक सुनिश्चित करनी होगी।

- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संबंधित परियोजना को लागू करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराया गये अभिलेख, भूमि-आवक, कर-विवरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परियोजना के संवर्धन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संवर्धन संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के जोयका स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सामान-सम्बन्ध १०-आई/सी/टी/१०/१०/१०/सी/आई/०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता कार्यों का अनुपालन न किये जाने अथवा कार्य का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसंधान-सम्बन्ध कार्यवाही की जायेगी।

संस्था- डाकिए/परिषद सम्बद्धता/२०२२/१९१९-६६६

प्रति,
अध्यक्ष/निर्देशक/नारायण विद्या पीठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स

(Signature)
(एन.एम.टी. खान)

सचिव
दिनांक
३०/०६/२०२२

(Signature)
(एन.एम.टी. खान)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रावि/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संखनऊ दिनांक: 09/01

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक वर्ष 2021-22 हेतु डिप्लोमा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 3385-NARAINA VIDYA PEETH GROUP OF INSTITUTIONS GANGAGANJ,PANKI,KANPUR2080;

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 सेमेस्टर विनियमवाली-2016 के विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इकाई पाठ्यक्रमों 30:150 00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम अतिरिक्त) हेतु रु०-22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमवाली-2000 की शर्तों का पालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित (आब) को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश निदेशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों/आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्था यदि पी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद टांगर किया जाता है तथा टांगर का निराकरण मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

✓ विप्लवाभा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। अतः उन्हें प्रवेश जी (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा उपकरण आदि का विवरण, बाल शूलक, छात्रवास शूलक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को धराया जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कार्यों अभिलेख भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने अनुशासना की जायेगी।

✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/पी0 के समतुल्य उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोन)

सचिव

पी0सी0- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2

परिचालन

पध्यातापार्य/निदेशक NARAINA VIDYA PEETH GROUP OF INSTITUTIONS GANGAGANJ,PANKI,KANPUR208020



(सुनील कुमार सोन)

सचिव